लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र0 / शि.क. / ए / संवि. / 57 / 2009 / 771

भोपाल, दिनांक 3.10.09

:: आदेश ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49 / 2008 / 20–1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक– 3.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम–5 तथा तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
	श्रीमती मनीषा जैन सहायक अध्यापक शास.क.हाईस्कूल कोटरी जिला सीहोर	AA7259	23330108702	जनपद पंचायत आष्टा जिला सीहोर जा.क्र.241 दिं. 16.7.09	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र.2937 दिं.31.8.2009 शास.प्रा.शाला रातीबड	23320221901
	श्रीमती मोहनी गुप्ता अध्यापक शास.मा.वि. रातौरा जिला शिवपुरी	BB4063	23060121703	जिला पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र.7260 दिं. 15.9.09	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र. 10027 दिं. 2.9.09 शास. मा.वि. हबीबपुरा मुरार	23040406004
	श्रीमती रक्षा भार्गव सहायक अध्यापिका शास.प्रा.वि.भौरा जिला गुना	AK4389	23070307401	जनपद पंचायत बमोरी जिला गुना जा.क्र.755 दिं. 14.7.09	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 2712 दिं. 29.8.2009 शा.प्रा.शा.भदभदा चौकी	23320303601
	श्रीमती अमिता लकड़ा सहायक अध्यापक शा.ना.शा. सिरवाड़ जिला होंशगाबाद	AL7720	23370210202	जनपद पंचायत बावई जिला होंशगाबाद जा.क्र. 1599 दि. 16.07.09	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क्र. 1286 दि. 13.07.09 शा.प्रा.शा. ढकना	23340506901
	श्रीमती स्वाती शर्मा अध्यापक शा.मा.वि.चिप्या जिला शाजापुर	BA5471	23220106702	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 2485 दि. 02.09.09	नगर पालिका निगम इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 570–ए दि. 29.08.09 शा.अहिल्याश्रम क.उ.मा.वि. क्र–2, इंदौर	23260102813
	श्रीमती मधु शाक्य अध्यापक शा.मा.वि. नेहरखेड़ा जिला श्योपुर	BP2882	23010822502	जिला पंचायत श्योपुर जिला श्योपुर जा.क्र. 1339 दि. 14.09.09	नगर पंचायत कैलारस, जिला मुरैना जा.क्र. क्यू दि. 10.07.09 शा.क.उ.मा.वि. कैलारस	23021077702
	कु. सीमा शर्मा अध्यापक शा.मा.वि. सादनखेड़ी जिला शाजापुर	BA1043	23220510201	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 3763 दि. 14.09.09	नगर पालिका निगम इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 519 दि. 07.09.09 शा.उ.मा.वि. विजयनगर इंदौर शा.उ.मा.वि. बाणगंगा इंदौर	23260177709

पृ./क्र0/शि.क./ए/संवि./57/2009/772 भोपाल, दिनांक 3.10.09

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

03/10/09

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

8 पा र स्प पा रि क 9	श्री महेश कुमार तिवारी सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि. बड़ागांव जिला शाजापुर	BA5454	23220205702	नगर पंचायत बड़ागांव जिला शाजापुर जा.क्र. 154 दि. 08.09.09	जनपद पंचायत बड़नगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1869 दि. 01.09.09 शा.बा.प्रा.वि.बड़ागांव	
	श्री मुस्ताक अहमद सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. मुगावदी,बड़नगर जिला उज्जैन	BE1925	23210304801	जनपद पंचायत बड़नगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1869 दि. 01.09.09	नगर पंचायत बड़ागांव जिला शाजापुर जा.क्र. 154 दि. 08.09.09 शा.प्रा.वि.मुगावदी	232202[illegible]702

संविलियन की शर्ते –

1. यह अनुमति तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन सबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेगें ।
4. तालिका के कालम–6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण हाने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रमावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम–5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश